

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018-19/

जयपुर दिनांक :

- 1.अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ, कोटा, जोधपुर, जयपुर ।
- 2.प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, जोधपुर ।
- 3.प्रधानाचार्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र हीराबाग जयपुर ।
- 4.संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर, कोटा ।
- 5.सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, जयपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झुन्झुनूं, टोंक, भीलवाड़ा ।
- 6.जिला क्षय रोग अधिकारी, बाडमेर, जैसलमेर, रतनगढ़ (चूरु), ब्यावर (अजमेर), नागौर, टोंक, झुन्झुनूं, सीकर, बून्दी, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ ।
- 7.अधीक्षक, कमला नेहरू क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर
- 8.डी.डी.ओ. निदेशालय चिकि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 9.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर (अजमेर), भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, नागौर, टोंक, झुन्झुनूं, नसीराबाद (अजमेर) ।
- 10.वि. अ. प्रभारी, रा. चिकित्सालय, छबड़ा (बांरा), बीकानेर हाऊस (नई दिल्ली)
- 11.प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ।
- 12.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाडमेर, भीलवाड़ा, बून्दी, रतनगढ़ (चूरु), चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर—प्रथम, जयपुर—द्वितीय, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरौही, टोंक, उदयपुर

विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक ए-4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018-19/549 दिनांक 04.09.2018 एवं 627 दिनांक 20.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने हेतु समय सारणी निर्धारित की गई थी, जिसके अनुसार उक्त बजट नियंत्रण अधिकारी कार्यालयों द्वारा बजट प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जबकि वित्त विभाग द्वारा बजट निर्णायक समिति (BFC) की बैठक दिनांक 02.11.2018 को निर्धारित कर दी गई है।

आप द्वारा निर्धारित दिनांक पर आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिससे बजट प्रस्तावों को संकलित नहीं किया जा सका है। बजट प्रस्ताव निर्धारित दिनांक तक प्रस्तुत नहीं करने के लिये अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा बजट के महत्व को देखते हुए बजट प्रस्तावों को (IFMS) में आनलाईन कर हार्ड कॉपी वित्तीय सलाहकार के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कराने की व्यवस्था करें। दिनांक 12.10.2018 तक बजट प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर सी.सी.ए. नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

(जे.एल.जांगिड़)  
वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 ( ) लेखा/प्रतिबद्ध/2018-19/ 670

जयपुर दिनांक : 08-10-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

1. प्रभारी अधिकारी सर्वर रुम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि पत्र को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करावें।

(जे.एल.जांगिड़)  
वित्तीय सलाहकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर